न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, झांसी।
उपस्थित : श्रीमती मनीषा, एच०जे०एस०,
याचिका सं० ५२५/२०१७,

श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी रमिन्दर जीत सिंह पुत्री श्री परमजीत सिंह नि० पंजाबी कालोनी, बबीना, थाना बबीना, जिला झांसी।

................याची.

बनाम

रमिन्दरजीत सिंह पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह जग्गी नि० ८०, शीतल अपार्टमेंट, सेक्टर-१४, रोहिणी, थाना प्रशान्त विहार, दिल्ली-८५.

...........विपक्षी.

अं० धारा १२५ द०प्र०सं०
थाना-बबीना, झांसी।

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा विपक्षी रमिन्दरजीत सिंह के विरूद्ध धारा १२५ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में याचिका प्रपत्र सं० ३ए में इस आशय के कथन किये गये हैं कि याचिनी जसप्रीत का विवाह विपक्षी रमिन्दर सिंह के साथ दिनांक ०६.०९.२०१५ को सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात वह विदा होकर ससुराल गयी तथा पत्नी धर्म का निर्वहन किया। शादी के बाद से ही विपक्षी व उसके परिवारीजन उसे कम दहेज लाने का उलाहना देने लगे तथा उससे १० लाख रुपये की मांग करने लगे। उसके द्वारा उक्त मांग पूरी करने में असमर्थता व्यक्त करने पर उसे भूखा प्यासा रखने लगे एवं उसकी मारपीट करने लगे तथा उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। उसकी सास उसे जलाकर मारने की धमकी देती थी। उसके जेवर भी छीन लिये। बबीना में पंचायत हुई थी, जिसमें ससुरालीजनों ने अपनी गलती स्वीकार की थी और भविष्य में अच्छी तरह से रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी कई बार मारपीट की। शादी के बाद विपक्षी उसे सिंगापुर ले गया था, वहां भी विपक्षी ने उसके साथ घृणित क्रूरता का व्यवहार किया। विपक्षी उस पर शक करता है और उसी शक के आधार पर शराब पीकर प्रतिदिन मारपीट करता है। दिनांक २३.०९.२०१७ को जब घर पर कोई नहीं था, रात को १२ बजे विपक्षी शराब पीकर आया और गालियां देने लगा तथा जबरदस्ती उसके साथ घृणित तथा अमानवीय क्रूरता करने लगा। उसने विपक्षी के बाजू में काट कर किसी तरह अपनी जान बचायी और पड़ोस में भाभी के यहां रात गुजारी तथा पहने हुए कपड़ों में मायके आयी और सारी बात अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने पंजीकृत डाक से थाना प्रशान्त विहार दिल्ली को प्रार्थनापत्र भेजा। विपक्षी उसे व उसके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

याचिका में यह भी कथन किया गया है कि उसकी आय का कोई साधन नहीं है। वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। जबकि विपक्षी एस०एन० चर कम्पनी मानेसर गुड़गांव में नेट वर्क इंजीनियर है, जहां उसे ८००००/रू० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। विपक्षी के पिता को पेंशन मिलती है एवं मां अध्यापिका है, उन्हें ७००००/रू० वेतन प्राप्त होता है। प्रार्थना की गयी है कि याचीगण को विपक्षी से ३०,०००/रू० प्रतिमाह भरण पोषण हेतु धनराशि दिलायी जावे।

विपक्षी ने याचिका का विरोध करते हुए लिखित कथन ८ए प्रस्तुत किया है जिसमें उसने याचिका याचिनी से विवाह होना स्वीकार किया है। याचिका के अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन में यह अभिवाक किया है कि उसने कभी दहेज की मांग नहीं की, न ही दहेज की मांग को लेकर याचिनी का उत्पीड़न किया। जेवरात याचिनी के पास हैं। उसने याचिनी का ख्याल रखा और याचिनी को घुमाने अनेक पर्यटन स्थल पर ले गया। याचिनी गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल दिल्ली में नौकरी करती है और दिनांक २२.०९.२०१७ को ड्यूटी पर थी तथा २५.०९.२०१७ को याचिनी ने अपनी ड्यूटी की थी। दिनांक २६, २७ व २८ को स्कूल से अवकाश लेकर याचिनी मायके गयी और इसी दौरान मुकदमा प्रस्तुत किया था। मुकदमा प्रस्तुत करने के बाद दिनांक २९.०९.२०१७ को याचिनी अपनी ड्यूटी पर थी। याचिनी ने सुनियोजित तरीके से दिनांक २४.०९.२०१७ को अपने मौसेरे भाई मनजोत को फोन कर बुलाकर व अपनी सगी बहन जो पहले से ही याचिनी से मिलने आयी थी के साथ ससुराल छोड़कर यह कहकर चली गयी कि दोबारा तीन चार दिन में आ जायेगी। जब वह रात को आफिस से आया तो उसे पता चला कि याचिनी घर छोड़कर जा चुकी है। याचिनी के माता पिता लालची हैं और याचिनी के माध्यम से नाजायज धन के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। याचिनी परिवार बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। उसके बार बार कहने पर भी संतान के लिए मना करती रही और झगड़ा करती रही तथा तलाक की धमकी देती रही। याचिनी दिल्ली में ही रह रही है। याचिनी बी०टेक० कम्प्यूटर से किये है और गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल दिल्ली में नौकरी कर १६०००/रू० मासिक वेतन प्राप्त करती है। वह प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता है, जहां उसे ३००००/रू० वेतन प्राप्त होता है। उसका काफी पैसा यात्रा में, पालिसी की किश्त व लोन आदि में खर्च हो जाता है। उक्त कथनों के आधार पर विपक्षी ने याचिका निरस्त किये जाने की याचना की है।

याचिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन मे याची साक्षी सं० १ के रूप में श्रीमती जसप्रीत कौर का बयान अभिलिखित कराया गया। विपक्षी की ओर से अपने कथन के समर्थन में विपक्षी साक्षी सं० १ रमिन्द्रजीत सिंह का बयान अभिलिखित कराया गया।

याची ने सूची १३बी से थानाध्यक्ष, प्रशान्त बिहार, दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थनापत्र की प्रति व डाक रसीद एवं इलाज के पर्चों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। विपक्षी ने सूची १९बी गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल का प्रमाणपत्र, मोबाइल काल डिटेल की छाया प्रति, उपस्थित पंजिका की छाया प्रति, कार्ड की छाया प्रति, वेतनपर्ची की छाया प्रति, सूची २२बी से सूचना के अधिकार तहत सूचना मांगने के प्रार्थनापत्र की छाया प्रति, डाक रसीद, प्राप्त सूचना, बैंक खाता की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

पक्षकारों के मध्य सुलह का प्रयास किया गया, जो सफल नही हुआ।

पक्षकारों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

मेरे समक्ष निर्धारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु हैं -

१-क्या याची विपक्षी की विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी है ?

२-क्या विपक्षी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?

३-क्या याची के पास अपना स्वयं का भरण पोषण करने हेतु साधन नहीं है ?

४-क्या विपक्षी ने साशय याची का भरण पोषण करने में उपेक्षा बरती तथा उसका भरण पोषण करने से इन्कार किया ?

५-क्या याची को विपक्षी से अलग रहने का युक्ति युक्त एवं औचित्यपूर्ण आधार है ?

निष्कर्ष

अवधार्य बिन्दु सं०-१ -

१-क्या याची विपक्षी की विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी है ?

इस अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में याची ने अपनी याचिका अं० धारा १२५ द०प्र०सं० में यह अभिवाक किया है कि उसका विवाह विपक्षी रमिन्दरजीत सिंह के साथ दिनांक ०६.०९.२०१५ को सम्पन्न हुआ था। याची के उक्त अभिवाक को विपक्षी ने अपनी आपत्ति कागज सं० ८ए में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षों की स्वीकृति के आधार पर यह निष्कर्ष निष्कर्षित करने का पर्याप्त आधार है कि याची श्रीमती जसप्रीत कौर विपक्षी रमिन्दरजीत सिंह की विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं० १ निस्तारित किया जाता है।

अवधार्य बिन्दु सं०-२ -

२-क्या विपक्षी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?

इस अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में याची ने अपनी याचिका एवं साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र में यह अभिवाक किया है कि विपक्षी एस०एन० चर कम्पनी मानेसर गुड़गांव में नेट वर्क इंजीनियर है, जहां उसे ८००००/रू० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। विपक्षी ने उक्त सम्बन्ध में अपने जबाबदावा में यह कथन किया है कि वह प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता है, जहां उसे ३००००/रू० वेतन प्राप्त होता है। उसका काफी पैसा यात्रा में, पालिसी की किश्त व लोन आदि में खर्च हो जाता है। विपक्षी ने स्वयं की जनवरी, २०१९ की वेतन पर्ची २१बी/७ प्रस्तुत की है, जिसमें विपक्षी की कुल वेतन ४२४२७/रू० है एवं कटौती के पश्चात ४०४२१/रू० है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निष्कर्षित करने का पर्याप्त आधार है कि विपक्षी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं० २ निस्तारित किया जाता है।

अवधार्य बिन्दु सं०-३

३-क्या याची के पास अपना स्वयं का भरण पोषण करने हेतु साधन नहीं है ?

इस अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में याची ने अपनी याचिका एवं साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र में उक्त सम्बन्ध में यह अभिवाक किया है कि उसकी आय का कोई श्रोत नहीं है। वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस बिन्दु पर विपक्षी ने अपनी आपत्ति में कथन किया है कि याचिनी बी०टेक० कम्प्यूटर से किये है और गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल दिल्ली मे नौकरी कर १६०००/रू० मासिक वेतन प्राप्त करती है। याचिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त सम्बन्ध में यह कथन किया है कि मैं वर्तमान में सेंट मार्क्स स्कूल बबीना में काम नहीं कर रही हूँ। मैने मेल से गुरू हरिकिशन पब्लिक स्कूल में त्याग पत्र भेजा था। विपक्षी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रधानाचार्य सेंट मार्क्स कालेज, बबीना से प्राप्त सूचना २५बी प्रस्तुत की है, जिसमें याचिनी को १.११.२०१७ से उनके विद्यालय में संविदा पद पर अध्यापक के रूप में कार्यरत है एवं उन्हें १००८०/रू० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। विपक्षी ने याचिनी के बैंक खाता की स्टेटमेंट २७बी प्रस्तुत की है, जिसमें याचिनी के खाते में फरवरी २०१९ तक

१००००/रू० मासिक वेतन आया है। अतः ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निष्कर्षित करने का पर्याप्त आधार है कि याचिनी श्रीमती जसप्रीत कौर सेंट मार्क्स कालेज बबीना में अध्यापिका के पद कार्य करती हैं और उसे १००००/रू० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। इस प्रकार याचिनी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं० ३ निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं०-४ व ५</u>

४-क्या विपक्षी ने साशय याची का भरण पोषण करने में उपेक्षा बरती तथा उसका भरण पोषण करने से इन्कार किया ?

५-क्या याची को विपक्षी से अलग रहने का युक्ति युक्त एवं औचित्यपूर्ण आधार है ?

उक्त दोनों अवधार्य बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टिकोण से एक साथ किया जा रहा है।

याची ने अपनी याचिका अं० धारा १२५ द०प्र०सं० में इस सम्बन्ध में यह अभिवाक किया है कि विवाह के पश्चात वह विदा होकर ससुराल गयी तथा पत्नी धर्म का निर्वहन किया। शादी के बाद से ही विपक्षी व उसके परिवारीजन उसे कम दहेज लाने का उलाहना देने लगे तथा उससे १० लाख रूपये की मांग करने लगे। उसके द्वारा उक्त मांग पूरी करने में असमर्थता व्यक्त करने पर उसे भूखा प्यासा रखने लगे एवं उसकी मारपीट करने लगे तथा उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। उसकी सास उसे जलाकर मारने की धमकी देती थी। उसके जेवर भी छीन लिये। बबीना में पंचायत हुई थी, जिसमें ससुरालीजनों ने अपनी गलती स्वीकार की थी और भविष्य में अच्छी तरह से रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी कई बार मारपीट की। शादी के बाद विपक्षी उसे सिंगापुर ले गया था, वहां भी विपक्षी ने उसके साथ घृणित क्रूरता का व्यवहार किया। विपक्षी उस पर शक करता है और उसी शक के आधार पर शराब पीकर प्रतिदिन मारपीट करता है। दिनांक २३.०१.२०१७ को जब घर पर कोई नहीं था, रात को १२ बजे विपक्षी शराब पीकर आया और गालियां देने लगा तथा जबरदस्ती उसके साथ घृणित तथा अमानवीय क्रूरता करने लगा। उसने विपक्षी के बाजू में काट कर किसी तरह अपनी जान बचायी और पड़ोस में भाभी के यहां रात गुजारी तथा पहने हुए कपड़ों में मायके आयी और सारी बात अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने पंजीकृत डाक से थाना प्रशान्त विहार दिल्ली को प्रार्थनापत्र भेजा। विपक्षी उसे व उसके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याचिनी ने अपने स्वयं के साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र में उक्त तथ्यों का समर्थन किया है।

इसके प्रतिकूल विपक्षी ने अपनी आपत्ति कागज सं० ८ए में याचिनी के उक्त अभिवाक का खण्डन करते हुए यह अभिवाक किया है कि उसने कभी दहेज की मांग नहीं की, न ही दहेज की मांग को लेकर याचिनी का उत्पीडन किया। जेवरात याचिनी के पास हैं। उसने याचिनी का ख्याल रखा और याचिनी को घुमाने अनेक पर्यटन स्थल पर ले गया। याचिनी गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल दिल्ली में नौकरी करती है और दिनांक २२.०१.२०१७ को ड्यूटी पर थी तथा २५.०१.२०१७ को याचिनी ने अपनी ड्यूटी की थी। दिनांक २६, २७ व २८ को स्कूल से अवकाश लेकर याचिनी मायके गयी और इसी दौरान मुकदमा प्रस्तुत किया था। मुकदमा प्रस्तुत करने के बाद दिनांक ३१.०१.२०१७ को याचिनी अपनी ड्यूटी पर थी। याचिनी ने सुनियोजित तरीके

से दिनांक २४.०१.२०१७ को अपने मौसेरे भाई मनजोत को फोन कर बुलाकर व अपनी सगी बहन जो पहले से ही याचिनी से मिलने आयी थी के साथ ससुराल छोड़कर यह कहकर चली गयी कि दोबारा तीन चार दिन में आ जायेगी। जब वह रात को आफिस से आया तो उसे पता चला कि याचिनी घर छोड़कर जा चुकी है। याचिनी के माता पिता लालची हैं और याचिनी के माध्यम से नाजायज धन के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। याचिनी परिवार बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। उसके बार बार कहने पर भी संतान के लिए मना करती रही और झगड़ा करती रही तथा तलाक की धमकी देती रही। विपक्षी ने अपनी आपत्ति में वर्णित उक्त तथ्यों का समर्थन अपने स्वयं के साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र में किया है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिनी एवं विपक्षी विवाहित पति पत्नी हैं तथा याचिनी विपक्षी से पृथक अपने मायके में निवास कर रही है। विपक्षी से पृथक रहने के सम्बन्ध में याची ने अपनी याचिका एवं साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र यह कथन किया है कि विपक्षी १० लाख रूपये की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। दिनांक २३.०९.२०१७ को जब घर पर कोई नहीं था, रात को १२ बजे विपक्षी शराब पीकर आया और गालियां देने लगा तथा जबरदस्ती उसके साथ घृणित तथा अमानवीय क्रूरता करने लगा। उसने विपक्षी के बाजू में काट कर किसी तरह अपनी जान बचायी और पड़ोस में भाभी के यहां रात गुजारी तथा पहने हुए कपड़ों में मायके आयी और सारी बात अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने पंजीकृत डाक से थाना प्रशान्त बिहार दिल्ली को प्रार्थनापत्र भेजा। याचिनी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए विपक्षी ने अपने जवाबदावा में कथन किया है कि याचिनी ने सुनियोजित तरीके से दिनांक २४.०९.२०१७ को अपने मौसेरे भाई मनजोत को फोन कर बुलाकर व अपनी सगी बहन जो पहले से ही याचिनी से मिलने आयी थी के साथ ससुराल छोड़कर यह कहकर चली गयी कि दोबारा तीन चार दिन में आ जायेगी। याचिनी के माता पिता लालची हैं और याचिनी के माध्यम से नाजायज धन के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। याचिनी परिवार बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। उसके बार बार कहने पर भी संतान के लिए मना करती रही और झगड़ा करती रही तथा तलाक की धमकी देती रही। याचिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति मुझे गाली देते हैं मेरी मारपीट करते हैं शराब पीकर अक्सर कभी भी घर से निकाल देते हैं। याचिनी ने थानाध्यक्ष प्रशान्त बिहार दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थनापत्र की कार्बन प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उसने विपक्षी पर बीस लाख रूपये मांगने व उसे प्रताड़ित करने का कथन किया है। याचिनी ने अपनी याचिका में दस लाख रूपया की मांग करने का कथन किया है तथा स्वयं द्वारा थानाध्यक्ष प्रशान्त बिहार को प्रेषित प्रार्थनापत्र में बीस लाख रूपये मांगने का कथन किया है। इस प्रकार स्वयं याचिनी की याचिका व उसके द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र १४बी में किये गये कथनों में भारी विरोधाभाष मुख्य तथ्य दहेज में रूपयों की मांग को लेकर है। याचिनी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। आगे याचिनी ने प्रतिपरीक्षा में पुनः यह कथन किया है कि मैं वर्तमान में सेन्ट मार्क्स स्कूल बबीना में काम नहीं कर रही हूँ। विपक्षी ने प्रपत्र सं० २५बी प्रधानाचार्य सेंट मार्क्स कालेज बबीना से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्रस्तुत की है, जिसमें यह सूचना दी गयी है कि अध्यापिका जसप्रीत कौर हमारे विद्यालय में ०१ नवम्बर, २०१७ से कार्यरत हैं, उन्हें दस हजार रूपया मासिक वेतन प्राप्त होता है। याचिनी ने अपने इस सम्बन्ध में

अपनी प्रतिपरीक्षा में मिथ्या कथन किया है। इस प्रकार याचिनी ने विपक्षी द्वारा दहेज की मांग में धनराशि के सम्बन्ध में एवं अपनी आय के सम्बन्ध में मिथ्या कथन किया है। ऐसी स्थिति में जबकि याचिनी ने अतिरिक्त दहेज के रूप में धनराशि के सम्बन्ध में एवं अपनी आय के सम्बन्ध में मिथ्या कथन किया है तब याचिनी की इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी उसके साथ दस लाख रूपये की मांग को लेकर क्रूरता का व्यवहार करता हो। याचिनी ने यह भी कथन किया है कि वह विपक्षी के साथ नहीं रहना चाहती है। जबकि विपक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जब तक मेरे साथ प्रार्थिनी रही अच्छी तरह से रहती थी। मैं प्रार्थिनी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में याचिनी को विपक्षी से पृथक रहने का पर्याप्त आधार नहीं है।

जहां तक विपक्षी द्वारा याची के भरण पोषण में उपेक्षा एवं इन्कार करने का प्रश्न है। याचिनी बिना किसी पर्याप्त आधार के विपक्षी से पृथक रह रही है। अतः विपक्षी ने याचिनी के प्रति कोई उपेक्षा या उदासीनता नहीं बरती है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं० ४ व ५ निस्तारित किये जाते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक रूपेण विवेचना एवं उक्त अवधार्य बिन्दुओं की उपपत्ति के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि याची श्रीमती जसप्रीत कौर विपक्षी की विधिक विवाहिता पत्नी है। विपक्षी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। याची अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है। विपक्षी ने याची का भरण पोषण करने में उपेक्षा बरती नहीं है और न उसका भरण पोषण करने से इन्कार किया तथा याची को विपक्षी से अलग रहने का युक्ति युक्त कारण उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में याची विपक्षी से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

याची श्रीमती जसप्रीत कौर द्वारा प्रस्तुत याचिका ३ए अं० धारा १२५ दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार की जाती है।

दिनांक ११.०४.२०११

(श्रीमती मनीषा)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
झांसी।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक ११.०४.२०११

(श्रीमती मनीषा)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
झांसी।

कन्हैया लाल मिश्रा

प्रतिलिपिक का नाम ...
जाँचकर्ता के ...
तैयारकर्ता ...
वास्तविक ... 600

सत्य प्रतिलिपि
मुंसरिम 18-4-11
पारिवारिक न्यायालय,
झांसी